न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मण्डावा

पीठासीन अधिकारी : सुप्रिया
(आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या 100/2023
रणजीत सिंह पुत्र श्यालाल, जाति दरोगा, निवासी बिसाऊ, तहसील बिसाऊ जिला झुन्झुनू (राज.)
वादी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये लेण्ड हॉल्डर तहसील बिसाऊ जिला झुन्झुनू (राज.) प्रतिवादी
दिनांक–25.07.2024

दावा घोषणार्थ

वादी की ओर से वाद पत्र निम्नलिखित अनुसार पेश है --यह कि वादी के स्व. श्याम लाल पुत्र महादेव जाति दरोगा निवासी बिसाऊ के खातेदार पुराना खसरा नम्बर 244/4 व नया न. 443 रकबा 4 बीघा 4 विस्वा नया हैक्टर 1.01 हैक्टर मोगा बिसाऊ में स्थित है। वादी के पिता स्व. श्यामलाल का खसरा नं. 244/4 जमीन पर 2005 से लगातार कब्जा चला आ रहा है। राजस्थान टेनेन्सी के वक्त में उक्त खसरा नम्बर पर वादी के पिता श्यामलाल का कब्जा काश्त चला आर रहा है। वादी के पिता श्यामलाल के देहान्त के बाद उक्त जमीन पर वादी व वादी के भाईयो का कब्जा चला आ रहा है तथा 2009 से आज तक जमीन पेटे कब्जे काश्त में किसी प्रकार का कोई विवाद नही है।वादी की जमीन पुराना खसरा नं. 244/4 नया नम्बर 243 रकबा 1.01 हैक्टर जमाबंदी 2012 से लेकर आज तक पहले वादी के पिता श्यामलाल की खातेदारी में दर्ज थी जिसका नामान्तरण सख्यां 419 के जरिये श्यामलाल के नाम एस.डी.ओं. झुन्झुनू के आदेश में नामान्तकरण दर्ज हुआ था। वादी के पिता के देहान्त के बाद स्व. श्यामलाल के वारिसान वादी, वादी की रहन बबीता, अंजू, गायत्री व माता रजनी कंवर व भानू सुलतान सिंह उप कृषक के रूप में दर्ज है। वादी राजस्थान सरकार का नियम है कि 10 वर्ष तक लगातार खसरा नं. 244/4 नया खसरा नं. 443 पर लगातार कब्जे काश्त करने वाले व्यक्ति का स्वयं ही खातेदार अधिकार दिये जाते है लेकिन वादी का राजस्थान सरकार के है कि खातेदारी अधिकार नहीं दिये राजस्थान सरकार व रिकार्ड के अनुसार वादी व वादी का परिवार का खातेदार अधिकार दर्ज करने में भूल की है।यह कि दिनांक 15.06.2023 को तहसीलदार बिसाऊ द्वारा खातेदारी प्रमाण पत्र मागने के रोज काम आया एक्सन के रोज पैदा हुआ।अतः दावा मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि वादी का पुराना खसरा नम्बर 244/4 व नया न. 443 रकबा 4 बीघा 4 बिस्वा नया हैक्टर 1.01 हैक्टर मोगा बिसाऊ मे ही गैर खातेदार को खातेदार घोपित किया जावे वादी ने अन्य कोई दादरिस भूलवश चाहे जाने से रह गई हो वो भी दिलवाई जावे।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलवाना नोटिस जारी कर वादग्रस्त भूमि के संवंध में वाद पत्र में दर्ज तथ्यों के संबंध में कोई उजर एतराज हो तो निर्धारित तिथि को न्यायालय में उपसंजात होकर उजर एतराज पेश करने हेतु पाबन्द किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 तहसीलदार बिसाऊ के पत्रांक प्रार्थना पत्र कमांक 359 दिनांक 14.04.2024 के द्वारा रिपोर्ट पेश कि ग्राम बिसाऊ के जमाबन्दी सम्वत 2072--77 के अनुसार ख.न.443 किस्म बा.3 रकबा 1.01 हैक्टर है। जो कृपाल सिंह पुत्र श्यामलाल हिस्सा 1/7 दरोगा गैर खातेदार, गायत्री पुत्री

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावा

यामलाल हि. 1/7 जाति दरोगा गैर खातेदार, बबीता पुत्री श्यामलाल हि. 1/7 जाति दरोगा गै
खातेदार, मंजू पुत्री श्यामलाल हि. 1/7 जाति दरोगा गैर खातेदार, रणजीत पुत्र श्यामलाल हि.
1/7 जाति दरोगा गैर खातेदार, रजनी कंवर पत्नी श्यामलाल हि. 1/7 जाति दरोगा गैर खातेदार,
राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। भूमि ख.न. 443 पर मृतक खातेदार श्यामलाल के वारिसान का कब्जा है।

जवाब देही पूर्व होने पर विद्वान अधिवक्ता की बहस श्रवण की गई। दौरान बहस विद्वान अधिवक्ता ने वाद पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा मुताबिक वाद वादी डिक्री फरमाया जाकर खसरा नं. 443 में दर्ज गैरखातेदारी हजफ किया जावें तथा खातेदारी दर्ज किये जाने का निवेदन किया गया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। बहस विद्वान अधिवक्ता पर मनन किया गया। वर्तमान जमाबन्दी सम्वत 2074–77 के ख.न. 443 में मृतक खातेदार के वारिसान के नाम से गैर खातेदारी दर्ज रिकार्ड है एवं तहसीलदार बिसाऊ की रिपोर्ट के अनुसान इनका कब्जा है। अतः उपलब्ध साक्ष्य सबूतों एवं तथ्यों के आधार पर वाद वादी स्वीकार किया जाना उचित एवं न्यायोचित प्रतीत होता है।

निर्णय

अतः वाद वादी स्वीकार किया जाकर ग्राम बिसाऊ के खसरा 443 में मृतक खातेदार श्यामलाल के वारिसान के नाम दर्ज गैर खातेदारी को हजफ किया जाकर उक्त को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तदनुसार प्राथमिक डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 25.07.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावा

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावा

(आदेश 20 के नियम 6 व 7 जाब्ता दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मुकाम बईजलास मण्डावा जिला झुंझुनूं (राज0)

पिठासीन अधिकारीः–सुप्रिया
(आर.ए.एस.)

दावा बाबत घोषणार्थ

अन्तिम वाद डिक्री

मुकदमा नम्बर :– राजस्व वाद संख्या 100/2023 रणजीत बनाम राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बिसाऊ वगै.

यह मुकदमा आज वास्ते इफिसला कतई रूबरू, सुप्रिया (आर.ए.एस.), उपखण्ड अधिकारी, मण्डावा बहाजिरी वकील वादीगण मिनजानिब मुद्दई रूबरू वकील प्रतिवादीगण मनजानिब मुद्दालय पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है।

निर्णय दिनांक 25.07.2024 निर्णय अनुसार वाद वादी स्वीकार किया जाकर वाके ग्राम बिसाऊ के खसरा न0 443 में मृतक खातेदार श्यामलाल के वारिसान के नाम दर्ज गैर खातेदारी को हजफ किया जाकर उक्त को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता

बसक्षत मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 18.07.2024 को जारी की गई।

सुप्रिया
उपखण्ड अधिकारी, मण्डावा

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावा